कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फ़ॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.inPhone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1151 /12-1: देहरादूनः दिनांकः 15दिसम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.861 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/146204/2021)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/17/2022/एफ0सी0/1161, दिनांक 11.12.2023

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक संख्या–924/12–1 दिनांक 17.10.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर की पत्रांक–555/1 सी वन दिनांक 23.4.2025 की (प्रति संलग्न–1) मय संलग्नकों सहित 26 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:–

| क्रसं | भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त | सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी से प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। |
| 2 | परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। | वन संरक्षक से प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। |
| 3(क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रति पूरक वनीकरण के लिये 1786 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA Rate for 1.786 ha area वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित जमा की जायेगी।जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकलप्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। | वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी की आख्यानुसार प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक–4708/ 12–1 दिनांक 25.4.2025 से अवगत कराया गया है कि 1722 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुये रू0 771821.00 की धनराशि प्रयोक्ता द्वारा आनलाईन चालन के माध्यम से दिनांक 22.3.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है एवं पौधों का रोपण कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा। संलग्न–चालन की प्रति। |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम Coordinates एवं अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी की आख्यानुसार प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है |

| | | |
|---|---|---|
| | ——— — – — – – – — – | कि 1722 पौधों का रोपण ग्राम पाडुली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग जिला–चमोली की 1.72 हे0 भूमि में किया जायेगा जिसके मानचित्र एवं अन्य अभिलेख संलग्न है। |
| (ग) | प्रत्यावर्तित किये जान के वाले क्षेत्र की केएमएल फाईल वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंनट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिये कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। | वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी से प्राप्त आख्यानुसार. प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमिपर यदि आवश्यक होतो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधन शामिल किये जा सकते हैं। | वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी से प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 5 | शर्त संख्या–4 के अनुसार | |
| 6 (क) | शुद्ध वर्तमानमूल्य<br>इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IAनम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथामंत्रालय द्वारापत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.861 हे0 वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के तहत 0.861 हे0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 865486.00 ऑनलाईन चालन के माध्यम से दिनांक 22.3.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है।<br>**चालान की प्रति संलग्न–1 है।** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई है जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित वचनबद्धता क प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया है।<br>NPV **वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (संलग्नक–3)** । |
| 7 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवंप्रभावितहोनेवाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। | प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेड़ों की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्ष एवं 35 सेपलिंगस से अधिक नहीं होंगे, का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं पेड़ा की कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जायेगी। |
| 8 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना | प्राप्त आख्यानुसार परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया |

| | | |
|---|---|---|
| | प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाऐंगे। | है। |
| 9 | एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 10 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्राप्त आख्यानुसार उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण–पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है। |
| 11 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। शर्त मान्य है। |
| 12 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 13 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मजदूरों राज्यी वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से लकड़ी, विशेष वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। शर्त मान्य है। |
| 14 | सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाऐगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हो। | प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 15 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाऐगा। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 16 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाऐगा। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 17 | केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाऐगी। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 18 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29. 01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 19 | पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया |

| | | |
|---|---|---|
| | वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्तें लागू होंगी, वह प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 20 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपर्युक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थन रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | वन संरक्षक, पौड़ी से प्राप्त आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाऐगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षों की कटाई भी नहीं की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 21 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/ नियम /न्यायालय आदेश/ अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की जायेगी। शर्त मान्य है। |
| 22 | अनुपालन रिपोर्टई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/)पर अपलोड की जाएगी। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) पर अपलोड की जा चुकी है। |
| 23 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व. विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगे। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 24 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तरण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि मलवे का निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर उचित प्रकार से किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण वन भूमि पर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 25 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/ नियम /न्यायालय आदेश/ अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंन्सी की जिम्मेदारी होगी। | प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त संख्या–21 के अनुसार शर्त मान्य है। |
| 26 | अनुपालन रिपोर्टई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/)पर अपलोड की जाएगी। | प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त संख्या–22 के अनुसार शर्त मान्य है। |

Gen Lett.

अतः उक्तानुसार आख्या संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत् प्रकरण में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या : 1181 /12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 924 / 12–1 दिनांक, पौड़ी, अक्टूबर 17 ,2025.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय :– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रभावित वृक्षों के छपान एवं पातन करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/146204/2021**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/17/2022/एफ0सी0/1161 दिनांक 11.12.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 4708/12–1 दिनांक 25.04.2025 एवं पत्रांक 1564/12–1 दिनांक 30.09.2025से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रस्ताव विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर द्वार अपने पत्रांक 555/1सी (वन) दिनांक 23.04.2025 से निम्नानुसार प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को प्रेषित की गई हैः–

| शर्त सं0. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या 02 का अनुपालन किया जाएगा। |
| 3 क | प्रतिपूरक वनीकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1722 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.72 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 4708/12–1 दिनांक 25.04. 2025 से अवगत कराया गया है कि 1722 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) रू 771821 .00 की धनराशि ऑनलाइन चालन के माध्यम से दिनांक 22.03.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है एवं पौधों का रापेण कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा<br>संलग्न 1– चालन की मूल प्रति। |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि 1722 पौधों का रोपण ग्राम पाडुली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जिला–चमोली की 1.72 है0 भूमि में किय जायेगा। जिसके मानचित्र एवं अन्य अभिलेख संलग्न है। |

प्रभारी चमोली
आ0व0 कार्य0 करें

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

अ0प्र0व0सं0/नोडल (FC)
..10/25

2429

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222506

| | | |
|---|---|---|
| ग | प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र, की के0एम0एल0 फाईलें, वृक्षारोपण योजना, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और, डब्ल्यू0 एल0 एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपर्युक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 5 | शर्त सं0–4 के अनुसार | |
| 6 क | शुद्ध वर्तमान मूल्य इस संबंध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.861 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के तहत 0.861 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 865486.00 ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 22.3.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है। **चालन की मूल प्रति संलग्न 1 में है।** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। **संलग्न 3– एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।** |
| 7 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षों एवं 35 सेपलिंग्स से अधिक नहीं होगीएवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेड़ो की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्ष एवं 35 सेपलिंगस से अधिक नही होगें, का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं पेड़ां की कटाई की लागत वन विभाग को ज़मा की जाएगी। |
| 8 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें। | प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। |

क्रमशः पेज 03 पर

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

| | | |
|---|---|---|
| 9 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 10 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है। |
| 11 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। शर्त मान्य है। |
| 12 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। शर्त मान्य है। |
| 13 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेष वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 14 | संबंधित वन मंडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हो। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 15 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 16 | वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |

क्रमशः पेज 04 पर

E-Mail ID- cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

| | | |
|---|---|---|
| 17 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 18 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29. 1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। |
| 19 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगीं। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित जो भी शर्ते लागू होंगी, वह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी। |
| 20 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागतपर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थाना रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षो की कटाई भी नहीं की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 21 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कियदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 22 | अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जा चुकी है। |

क्रमशः पेज 05 पर

*E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566*

| | | |
|---|---|---|
| 23 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगें। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 24 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मलवे का निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर उचित प्रकार से किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण वन भूमि पर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 25 | शर्त सं0–21 के अनुसार। | |
| 26 | शर्त सं0–22 के अनुसार। | |

<u>संलग्नः– यथोपरि</u>

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 924 / 12-1 दिनॉक
प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

# ।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 4708/12-1 ,गोपेश्वर, दिनांक 25/04 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः— जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिमर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/86/2022/एफ0सी0/2085 दिनांक 11.12.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में वर्णित डिमर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर ने अपने पत्र सं0 555/1सी0(वन) दिनांक 23.04.2025 से सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे संलग्नको सहित निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:—

| शर्त संख्या | सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दु संख्या 02 का अनुपालन किया जाएगा। |
| 3 (क) | प्रतिपूरक वनीकरण<br>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1722 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.72 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | 1722 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) रु 771821 .00 की धनराशि ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 22.03.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है एवं पौधों का रोपण कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा<br>**संलग्न 1— चालान की मूल प्रति।** |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | 1722 पौधों का रोपण ग्राम पाडुली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जिला–चमोली की 1.72 है0 भूमि में किया जायेगा। जिसके मानचित्र एवं अन्य अभिलेख संलग्न है।<br>**संलग्न 2— मानचित्र एवं अन्य अभिलेख।** |

| | | |
|---|---|---|
| ग | प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण योजना, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति ज़ारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपर्युक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 5 (क) | शुद्ध वर्तमान मूल्य<br>इस संबंध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.861 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रस्ताव के तहत 0.861 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिएं शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 865486. 00 ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 22.3. 2024 द्वारा जमा की जा चुकी है।<br>**चालन की मूल प्रति संलग्न 1 में है।** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।<br>**संलग्न 3– एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षों एवं 35 सेपलिंग्स से अधिक नहीं होगीएवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेड़ो की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्ष एवं 35 सेपलिंगस से अधिक नही होगे, का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं पेड़ों की कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जाएगी। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/ )के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें। | परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 9 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। | उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है। |
| 10 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। शर्त मान्य है। |
| 11 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। शर्त मान्य है। |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेष वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 13 | संबंधित वन मंडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हो। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित वन मंडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 14 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 15 | वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 16 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियॉ, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 17 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगीं। | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो भी शर्तें लागू होंगी, वह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी। |
| 19 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागतपर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षो की कटाई भी नहीं की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 20 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की जायेगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 21 | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जा चुकी है। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगें। | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | मलवे का निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर उचित प्रकार से किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण वन भूमि पर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। |

उपरोक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या की 03 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, उक्त प्रकरण के विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार )
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पृष्ठ सं0–2 पर

पत्रांकः— / दिनांकित।
प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार )
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्य ... अधीक्षक
गढ़वाल वृत्त ... पौड़ी
प्राप्ति स0 7386
पत्रांक संख्या 12-1
दिनांक 29/4/25
पत्र किसको भेजा

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 1564 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 30 /2025

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः— जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रभावित वृक्षों के छपान एवं पातन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपकी पत्र सं0–2138/12–1 दिनांक 05.05.2025.

महोदय,

उपरोक्त सन्दभित पत्र से| विषयांकित प्रकरण जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नव निर्माण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या का अवलोकन करने पर तीन बिन्दुओं की सूचनाएं चाही गयी है। जिनका निम्नानुसार निराकरण प्रस्तावक विभाग लोक निर्माण विभाग गौचर की पत्र संख्या–1479/1सी0वन दिनांक–19.09.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है–

| क्र0सं0 | चाही गयी सूचना | आख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तावक विभाग द्वारा दी गयी अनुपालन आख्य संलग्न नहीं की गयी है। | प्रस्तावक विभाग द्वारा दी गयी अनुपालन आख्या संलग्न है।(संलग्नक–01) |
| 2 | सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दु सं0–3(ख)में 1722 पौधों का रोपण ग्राम पाडुली राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग में प्रस्तावित किया गया है, उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं, से सम्बन्धित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। | प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक–02) |
| 3 | प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.720 है0 ग्राम पाडुली राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या 25, श्रेणी 10(4) "अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज" प्रस्तावित की गयी है, जिसको जिलाधिकारी चमोली द्वारा पत्रांक 6014/छब्बीस (2023–24) दिनांक 16.04.2025 से वन विभाग के नाम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, से सम्बन्धित निम्न प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।<br>1–उक्त भूमि का वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी खाता संख्या की प्रति/आदेश।<br>2–उक्त भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए प्रस्तावित सिविल भूमि को वन विभाग अपने कब्जे में लिया गया है का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय। | 1–उक्त भूमि का वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी खाता संख्या की प्रति संलग्न कर दी गयी है।<br>2– उक्त सिविल भूमि को वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ द्वारा वन विभाग के कब्जे में ले लिया गया है। कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक–03) |

अतः आपसे निवेदन है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की कृपा करें।

संलग्नक- यथोपरि।

कार्यालय वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
प्राप्ति सं0 2910
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 13/10/25
पत्र किसको भेजा वन भूमि

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

ऑनलाइन अपलोड / विशेषाधिकार द्वारा संलग्नक- 01


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com


पत्रांक- 555 / 1सी0 (वन) दिनांक 23 / 04 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/146204/2020)

सन्दर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्र सं0- 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 17 / 2022 / एफ0सी0 / 2085 दिनांक 11.12.2023 एवं आपका पत्रांक संख्या 3290 / 12-1 दिनांक 3.1.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 23 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

| शर्त संख्या | सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दु संख्या 02 का अनुपालन किया जाएगा। |
| 3 (क) | प्रतिपूरक वनीकरण<br>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1722 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.72 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें। | 1722 पौधों के रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवष्यक धनराषि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) रू 771821 .00 की धनराशि ऑनलाइन चौलन के माध्यम से दिनांक 22.03.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है एवं पौधों का रापेण कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा<br>**संलग्न 1- चालन की मूल प्रति।** |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | 1722 पौधों का रोपण ग्राम पाडुली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जिला-चमोली की 1.72 है0 भूमि में किय जायेगा। जिसके मानचित्र एवं अन्य अभिलेख संलग्न है।<br>**संलग्न 2- मानचित्र एवं अन्य अभिलेख।** |

संलग्नक-①

| | | |
|---|---|---|
| ग | प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण योजना, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | उक्त शर्त मान्य है। वृक्षारोपण योजना आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या 3290/12–1 दिनांक 3.1. 2024 के अनुसार 1722 पौधो हेतु रू0 771821.00 की आपके स्तर से तैयार की जायेगी एवं अन्य आवश्यक विवरण ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर भी आपके द्वारा अपलोड किया जायेगा। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपर्युक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | शर्त मान्य है। यदि आवश्यक हो तो वन विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी। |
| 5 (क) | शुद्ध वर्तमान मूल्य<br>इस संबंध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.861 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रस्ताव के तहत 0.861 है0 वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 865486.00 ऑनलाइन चॉलन के माध्यम से दिनांक 22.3.2024 द्वारा जमा की जा चुकी है।<br>**चालन की मूल प्रति संलग्न 1 में है।** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। | एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।<br>**संलग्न 3– एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षों एवं 35 सेपलिंग्स से अधिक नहीं होगीएवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेड़ो की कटाई न्यूनतम की जायेगी एवं प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्ष का पातन राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा एवं पेड़ां की कटाई की लागत वन विभाग को जमा की जाएगी। |

सैलग्नक-1

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/ )के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएगें। | परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। |
| 8 | एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा। शर्त मान्य है। |
| 9 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। | उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है। |
| 10 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। शर्त मान्य है। |
| 11 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। शर्त मान्य है। |
| 12 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेष वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। शर्त मान्य है। |
| 13 | संबंधित वन मंडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/ Backward bearing अंकित हो। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित वन मंडल अधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। शर्त मान्य है। |
| 14 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। शर्त मान्य है। |
| 15 | वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा। शर्त मान्य है। |
| 16 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियॉं, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। शर्त मान्य है। |

सलग्नक-1

| | | |
|---|---|---|
| 17 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 एफ0सी0 दिनांक 29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायगा। |
| 18 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगीं। | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित जो भी शर्ते लागू होगी, वह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होगी। |
| 19 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागतपर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जाएगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। प्रयाक्त अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्र में वृक्षो की कटाई भी नहीं की जायेगी। शर्त मान्य है। |
| 20 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की जायेगी। शर्त मान्य है। |
| 21 | अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जा चुकी है। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगें। | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते का अनुपालन किया जायेगा। शर्त मान्य है। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | मलवे का निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर उचित प्रकार से किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण वन भूमि पर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। शर्त मान्य है। |

संलग्नक-1

अत: अनुरोध है कि प्रकरण को अपने स्तर से की जाने वाली समस्त कार्यवाही उपरान्त विधिवत स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करे।

संलग्न– अनुपालन आख्या 3 प्रतियों में।

भवदीय
23/4/25
(इं0 सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
23/4/25

पत्रांक /1 सी0 वन तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– [redacted] प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
4– जिलाधिकारी चमोली ।
5– अधीक्षण अभियन्ता 07वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
6– सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

संलग्नक -01

पंजीकृत / विशेषवाहक द्वारा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक– 1479 / 1 सी0 वन दिनांक 19 / 09 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। **(Online No- FP/UK/ROAD/146204/2021)**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक संख्या 5783 / 12–1 दिनांक 28.6.2025 एवं वन संरक्षक गढवाल वृत्त उत्तराखण्ड पौडी का पत्रांक सं–2138 / 12–1 दिनांक 05.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडंग्री तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पर वन संरक्षक महोदय द्वारा सूचनाये चॉही गई है, जो बिन्दुवत निम्नप्रकार है–

| क0स0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तावक विभाग द्वारा दी गयी अनुपालन आख्या संलग्न नहीं है। | इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 555 / 1सी0 वन दिनांक 23.4.2025 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या आपके कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्र संख्या मूल में संलग्न कर आपके स्तर से प्रेषित किया जाना है। |
| 2 | सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दु सं0–3 (ख) में 1722 पौधों का रोपण ग्राम पाडुली राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग में प्रस्तावित किया गया है, उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है अथवा नहीं, से सम्बन्धित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। | उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपर्यक्त है। सम्बन्धित आख्या वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड के पत्रांक संख्या 616 / 12 नारायणबगड़ दिनांक 18.3.2025 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया है।<br>**संलग्न 1–** संदर्भित पत्र की छायाप्रति 1 नम्बर एवं स्थल उपर्युक्तता प्रमाण पत्र 03 नं0। |
| 3 | प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.720 है0 ग्राम पाडुली राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या 25, श्रेणी 10 (4) '' अन्य कारणो से अकृषित भूमि दर्ज'' प्रस्तावित की गयी है, जिसको जिलाधिकारी चमोली द्वारा पत्रांक 6014 / छब्बीस (2023–24) दिनांक 16.4.2025 से वन विभाग के नाम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, से सम्बन्धित निम्न प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।<br>1– उक्त भूमि का वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी खाता संख्या की प्रति / आदेश।<br>2– उक्त भूमि का नामान्तरण / हस्तान्तरण प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए प्रस्तावित सिविल भूमि को वन विभाग अपने कब्जे में लिया गया है का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय। | 1– उक्त भूमि का वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी खाता संख्या की प्रति संलग्न कर दी गई है।<br>**संलग्न 2–** वन विभाग के नाम दर्ज खतौनी खाता संख्या की छायाप्रति 3 नंम्बर।<br>2– सिविल भूमि को वन विभग अपने कब्जे में लिया गया है का प्रमाण पत्र मूल में वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड के पत्रांक संख्या– 300 / 12 नारायणबगड दिनांक 12.9.2025 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया है।<br>**संलग्न 3–** कब्जा प्रमाण पत्र की छायाप्रति। |

संलग्न– उपरोक्तानसार

2049

संलग्नक 1

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौडी को प्रेषित करने की कृपा करे।

भवदीय

19/09/25

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
19/9/2025

पत्रांक /1 सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को इन निर्देशो के साथ प्रेषित कि कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि– वनक्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड जिला चमोली को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर

संलग्न-2

## ।। कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड़।।

पत्रांक 616/12 नारायणबगड़, 18 दिनांक, 03 /2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः— मोटर मार्गो के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण/पौधरोपण स्थल का संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित्त करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक—3580/12—1 दिनांक—20.02.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत डिम्मर—सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से कोलडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण की एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम पाड़ली राजस्व उप निरीक्षक कण्डारा द्वारा दिये गये नॉन जेड0ए0 के खतौनी के खाता संख्या—25 में श्रैणी 10—04 अन्य कारणों से अकृषित भूमि के खसरा सं0—1521 रकवा 1.098 है0, 1527 रकवा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 कुल—1.720 है0 प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय यह देखा गया कि प्रस्तावित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर राजि
नारायणबगड़।

संलग्नक-2

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 हे0 सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 हे0 कुल 0.861 हे0 सिविल भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

आज दिनांक 04.03.2025 को प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय पत्रांक संख्या 3580/12–1 के कम में वन विभाग एवं राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री मोटर मार्ग निर्माण के एवज में खसरा सं0 1521 रकवा 1.098 है0, खसरा संख्या 1527 रकवा 0.471 है0 एवं खसरा संख्या 1534 रकवा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 अर्थात कुल 01.720 है0 क्षेत्र पाडुली सिविल (राजस्व क्षेत्र–कण्डारा,तहसील कर्णप्रयाग, जिला–चमोली) में वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र से लिया गया है। जो कि वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है। जिसका जी0पी0एस0 मान निम्नवत् है–

**1 - 79° 19' 2.67" E 30° 12' 55.79" N**
**2- 79° 19' 7.36" E 30° 12' 55.14" N**
**3- 79° 19' 6.97" E 30° 12' 50.65" N**
**4- 79° 19' 3.25" E 30° 12' 50.74" N**

Amolc उपराजि

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
पिण्डर रा...
नारायणबगड़

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न 2

नकल नान जेड० ए० खतौनी

ग्राम - पाडुली | रा० उ० नि० क्षेत्र - कण्डारा | तहसील - कर्णप्रयाग

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी 10(4):- अन्य कारणों से अकृषित भूमि:- | | | | | | |
| 25 | भीटा | हे० | 9 | 0.091 | | | |
| | | ब० | 50 | 0.013 | | | |
| | | | 122 | 0.023 | | | |
| | | | 127 | 0.130 | | | |
| | | | 137 | 0.150 | | | |
| | | | 167 | 0.043 | | | |
| | | | 266 | 0.013 | | | |
| | | | 276 | 0.090 | | | |
| | | | 282 | 0.100 | | | |
| | | | 300 | 0.135 | | | |
| | | | 323/1 | 0.266 | | | |
| | | | 342 | 0.043 | | | |
| | | | 349 | 0.090 | | | |
| | | | 405 | 0.020 | | | |
| | | | 437 | 0.060 | | | |
| | | | 442 | 0.048 | | | |
| | | | 454 | 0.170 | | | |
| | | | 530 | 0.070 | | | |
| | | | 546 | 0.030 | | | |
| | | | 550 | 0.030 | | | |
| | | | 558 | 0.003 | | | |

## आदेश

मु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के पत्रांक संख्या 6014/छब्बीस-(2023-2024) गोपेश्वर दिनांक: 16 अप्रैल 2025 के क्रम में ग्राम-पाडुली की ख० खा० संख्या-25, खसरा सं० -1521 रकबा 1.098 हे०, खसरा संख्या-1527 रकबा-0.471 हे० एवं खसरा संख्या-1534 रकबा 0.210 हे० अद्यपि-0.151 हे० अर्थात कुल 1.720 हे० भूमि, जो कि N.Z.A श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज है को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किए जाने की स्वीकृति शासनादेश सं- 3173/XVIII(II)/2012-18(120)/2015 दिनांक 17.12.2012 के अनुसार प्रदान की जाती है। तदनुसार अमल दरामद किया।

राजस्व उप निरीक्षक तहसील कर्णप्रयाग कण्डारा

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0 नि0 वि0
गौचर

संलग्नक-2

**परियोजना का नामः--** **जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्मर--सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 है0 सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 है0 कुल 0.861 है0 सिविल भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।**

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

आज दिनांक 04.03.2025 को प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय पत्रांक संख्या 3580/12--1 के कम में वन विभाग एवं राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर--सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री मोटर मार्ग निर्माण के एवज में खसरा सं0 1521 रकवा 1.098 है0, खसरा संख्या 1527 रकवा 0.471 है0 एवं खसरा संख्या 1534 रकवा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 अर्थात कुल 01.720 है0 क्षेत्र पाडुली सिविल (राजस्व क्षेत्र--कण्डारा,तहसील कर्णप्रयाग, जिला--चमोली) में वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र से लिया गया है। जो कि वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है। जिसका जी0पी0एस0 मान निम्नवत् है--

**1 - 79° 19' 2.67" E 30° 12' 55.79" N**
**2- 79° 19' 7.36" E 30° 12' 55.14" N**
**3- 79° 19' 6.97" E 30° 12' 50.65" N**
**4- 79° 19' 3.25" E 30° 12' 50.74" N**

राजस्व उपनिरीक्षक

वन क्षेत्राधिकारी
पिण्डर रा़जि
नारायणबगड़

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न 2

# नकल नान जेड० ए० खतौनी

ग्राम - पाडुली | रा० उ० नि० क्षेत्र - नगरासू | तहसील - कर्णप्रयाग

भूलेख प्रपत्र सं० प-11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी 10(4) :- अन्य कारणों से अकृषित भूमि :- | | | | |
| 25 | भीटा | हे० | 9 | 0.091 | |
| | | बे० | 50 | 0.013 | |
| | | | 122 | 0.023 | |
| | | | 123 | 0.130 | |
| | | | 137 | 0.150 | |
| | | | 167 | 0.043 | |
| | | | 266 | 0.013 | |
| | | | 276 | 0.090 | |
| | | | 288 | 0.100 | |
| | | | 300 | 0.135 | |
| | | | 323/1 | 0.266 | |
| | | | 342 | 0.043 | |
| | | | 349 | 0.090 | |
| | | | 405 | 0.020 | |
| | | | 437 | 0.060 | |
| | | | 442 | 0.048 | |
| | | | 454 | 0.170 | |
| | | | 530 | 0.070 | |
| | | | 546 | 0.030 | |
| | | | 550 | 0.030 | |
| | | | 558 | 0.003 | |

## आदेश

मु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के पत्रांक संख्या 6014/छब्बीस-(2023-2024) गोपेश्वर दिनांक : 16 अप्रैल 2025 के क्रम में ग्राम-पाडुली की ख० खा० संख्या -25, खसरा सं० -1521 रकबा 1.098 हे०, खसरा संख्या-1527 रकबा-0.547 हे० एवं खसरा संख्या -1534 रकबा 0.210 हे० अद्धे- 0.151 हे० अर्थात कुल 1.720 हे० भूमि जो कि N.Z.A श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज है को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किए जाने की स्वीकृति शासनादेश सं- 2173/XVIII(II)/2012 - 18(120)/2015 दिनांक 17.12.2012 के अनुसार प्रदान की जाती है। तदनुसार अमल दरामद किया।

(मुहर: राजस्व उप निरीक्षक, तहसील कर्णप्रयाग, नगरासू) (हस्ताक्षर)

छायाप्रति सत्यापित

(हस्ताक्षर)

सहायक अभियन्ता
नि० खा० लो० नि० वि०
गौचर

संलग्नक-12

**परियोजना का नामः–** जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 हे0 सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 हे0 कुल 0.861 हे0 सिविल भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

आज दिनांक 04.03.2025 को प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय पत्रांक संख्या 3580/12–1 के कम में वन विभाग एवं राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ग्राम कोलाडुंग्री मोटर मार्ग निर्माण के एवज में खसरा सं0 1521 रकवा 1.098 है0, खसरा संख्या 1527 रकवा 0.471 है0 एवं खसरा संख्या 1534 रकवा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 अर्थात कुल 01.720 है0 क्षेत्र पाडुली सिविल (राजस्व क्षेत्र–कण्डारा,तहसील कर्णप्रयाग, जिला–चमोली) में वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र से लिया गया है। जो कि वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त है। जिसका जी0पी0एस0 मान निम्नवत् है–

**1 - 79° 19' 2.67" E 30° 12' 55.79" N**
**2- 79° 19' 7.36" E 30° 12' 55.14" N**
**3- 79° 19' 6.97" E 30° 12' 50.65" N**
**4- 79° 19' 3.25" E 30° 12' 50.74" N**

राजस्व उपनिरीक्षक

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
सिमली पिण्डार रेंज
नारायणबगड़

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न 2

# नकल नान जेड० ए० खतौनी

ग्राम - पाडुली
भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

रा० उ० नि० क्षेत्र - नगरासू  तहसील - कर्णप्रयाग

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी 10(4):- | अन्य | कारणों | से अकृषित भूमि:- | | | |
| 25 | भीटा | हे० | 9 | 0.091 | | | |
| | | बं० | 50 | 0.013 | | | |
| | | | 122 | 0.023 | | | |
| | | | 127 | 0.130 | | | |
| | | | 137 | 0.150 | | | |
| | | | 167 | 0.043 | | | |
| | | | 266 | 0.013 | | | |
| | | | 276 | 0.090 | | | |
| | | | 282 | 0.100 | | | |
| | | | 300 | 0.135 | | | |
| | | | 323/1 | 0.366 | | | |
| | | | 342 | 0.043 | | | |
| | | | 349 | 0.090 | | | |
| | | | 405 | 0.020 | | | |
| | | | 437 | 0.060 | | | |
| | | | 442 | 0.048 | | | |
| | | | 454 | 0.170 | | | |
| | | | 530 | 0.070 | | | |
| | | | 546 | 0.030 | | | |
| | | | 550 | 0.030 | | | |
| | | | 558 | 0.003 | | | |

## आदेश

म० आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के पत्रांक संख्या 6014/छत्तीस-(2023-2024) गोपेश्वर दिनांक: 16 अप्रैल 2025 के क्रम में ग्राम-पाडुली की ख० खा० संख्या-25, खसरा सं० -1521 रकबा 1.098 हे०, खसरा संख्या-1527 रकबा-0.457 हे० एवं खसरा संख्या-1534 रकबा 0.210 हे० अर्थात- 0.151 है अर्थात कुल 1.720 हे० भूमि, जो कि N.Z.A श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज है को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किए जाने की स्वीकृति शासनादेश सं- 3173/XVIII(II)/2012-18(120)/2015 दिनांक 17.12.2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

तदनुसार अमल दरामद किया।

(मुहर: राजस्व उप निरीक्षक, तहसील कर्णप्रयाग, नगरासू) (हस्ताक्षर)

छायाप्रति सत्यापित

(हस्ताक्षर)

सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
गौचर

संलग्न 3

# ।। कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर राजि नारायणबगड़।।

पत्रांक 300/12 नारायणबगड़, दिनांक, 12/09/2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिमर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–814/12–1 दिनांक–11.08.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिमर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.720 है0 भूमि ग्राम पाडुली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या 25, श्रेणी 10(4) "अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज" प्रस्तावित की गयी है। उक्त वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनांक–20.08.2025 को किया गया, तथा प्रस्तावित वन भूमि 1.720 है0 को वन विभाग के कब्जे में लिया गया है, जिसका कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी पिण्डर राजि
नारायणबगड़।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-3

# कब्जा हस्तान्तरण रिपोर्ट

तकनीकी अधिकारी(वानिकी) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 17 / 2022 / एफ0सी0 / 1161 दिनांक 11.12.2023 में प्राविधानित शर्तो के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 294 / र0 का / भूमि हस्तान्तरण डिम्मर–सुम्लटा मोटर मार्ग किमी0 06.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पाडुली, पटवारी क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–25, खसरा संख्या–1521, रकवा–01.098 है0, खसरा संख्या–1527, रकवा–0.471 है0 एवं खसरा संख्या–1534, रकवा–0.210 है0 मध्ये, 0.151 है0, अर्थात 01.720 है0 श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज को उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक–17.12.2012 के अनुसार आज दिनांक को वन विभाग, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ के नाम अर्जन भूमि का कब्जा / हस्तान्तरण किया गया है।

| क्र0सं0 | ग्राम का नाम | खाता संख्या | खसरा संख्या | क्षेत्रफल (है0में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पाडली | 25 | 1521 | 1.098 |
| 2 | | | 1527 | 0.471 |
| 3 | | | 1534 | 0.151 |
| | | योगः– | | **1.720** |

उपरोक्तानुसार जनपद चमोली में ग्राम पाड़ली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत 1.720 है0 भूमि का कब्जा वन विभाग बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ हेतु हस्तान्तरण / प्राप्त किया।

हस्तान्तरित किया

(हस्ताक्षर) RSI/Kadaru, 28/08/2024

(हस्ताक्षर) हरेन्द्र सिंह

प्राप्त किया

(हस्ताक्षर) वन क्षेत्राधिकारी (पश्चिमी पिण्डर) 28/08/2024

(हस्ताक्षर) उपजिलाधिकारी

संलग्नक-3

# कब्जा हस्तान्तरण रिपोर्ट

तकनीकी अधिकारी(वानिकी) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 17 / 2022 / एफ0सी0 / 1161 दिनांक 11.12.2023 में प्राविधानित शर्तो के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 294 / र0 का / भूमि हस्तान्तरण डिम्मर–सुम्लटा मोटर मार्ग किमी0 06.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पाडुली, पटवारी क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–25, खसरा संख्या–1521, रकवा–01.098 है0, खसरा संख्या–1527, रकवा–0.471 है0 एवं खसरा संख्या–1534, रकवा–0.210 है0 मध्ये, 0.151 है0, अर्थात 01.720 है0 श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज को उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक–17.12.2012 के अनुसार आज दिनांक को वन विभाग, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ के नाम अर्जन भूमि का कब्जा / हस्तान्तरण किया गया है।

| क्र0सं0 | ग्राम का नाम | खाता संख्या | खसरा संख्या | क्षेत्रफल (है0में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पाडली | 25 | 1521 | 1.098 |
| 2 | | | 1527 | 0.471 |
| 3 | | | 1534 | 0.151 |
| | | योगः– | | 1.720 |

उपरोक्तानुसार जनपद चमोली में ग्राम पाड़ली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत 1.720 है0 भूमि का कब्जा वन विभाग बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ हेतु हस्तान्तरण / प्राप्त किया।

हस्तान्तरित किया

RSI Kadarw.
20/08/2024

प्राप्त किया

व0 वन दरोगा
24/08/2024

संलग्नक-3

# कब्जा हस्तान्तरण रिपोर्ट

तकनीकी अधिकारी(वानिकी) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/17/2022/एफ0सी0/1161 दिनांक 11.12.2023 में प्राविधानित शर्तो के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 294/र0 का/भूमि हस्तान्तरण डिम्मर–सुम्लटा मोटर मार्ग किमी0 06.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पाडुली, पटवारी क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–25, खसरा संख्या–1521, रकवा–01.098 है0, खसरा संख्या–1527, रकवा–0.471 है0 एवं खसरा संख्या–1534, रकवा–0.210 है0 मध्ये, 0.151 है0, अर्थात 01.720 है0 श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज को उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक–17.12.2012 के अनुसार आज दिनांक को वन विभाग, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ के नाम अर्जन भूमि का कब्जा/हस्तान्तरण किया गया है।

| क्र0सं0 | ग्राम का नाम | खाता संख्या | खसरा संख्या | क्षेत्रफल (है0में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पाडली | 25 | 1521 | 1.098 |
| 2 | | | 1527 | 0.471 |
| 3 | | | 1534 | 0.151 |
| | | योगः– | | 1.720 |

उपरोक्तानुसार जनपद चमोली में ग्राम पाड़ली, तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत 1.720 है0 भूमि का कब्जा वन विभाग बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर, पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ हेतु हस्तान्तरण/प्राप्त किया।

हस्तान्तरित किया

(हस्ताक्षर) RSI/Kadara, 20/08/2024

(हस्ताक्षर)

प्राप्त किया

(हस्ताक्षर) 28/08/2024

(हस्ताक्षर)

संलग्न 1

**AGENCY COPY**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

**Date : 20-03-2024**

| | |
|---|---|
| Agency Name. | TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR |
| Application No. | 61146204092 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/17/2022/FC |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Address. | office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli |
| Amount(in Rs) | 1637307/- |

**Amount in Words** :Sixteen Lakh Thirty-Seven Thousand Three Hundred and Seven Rupees Only

## NEFT/RTGS to be made as per following details;

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTARANCHAL CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0996335 |
| Pay to Account No. | 1508961146204092<br>Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

**Note:After making the required payment through chall[...] even after 7 working days, then kindly mail a copy of [...] id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@[...] ubin0903710@unionbankofindia.bank**

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

भारतीय स्टेट बैंक, गौचर-06738
22 MAR 2024
Sohan Singh Rawat

भारतीय स्टेट बैंक, गौचर
22 MAR 2024
Anjali Vashi[...]

SBIN 22408245 2286

संलग्न 2

जियोरेफेरेन्स मैपः— नपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत डिम्मर—सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुग्री तक मोटर मार्ग की वनभूमि प्रस्ताव हेतु पौधरोपण क्षेत्र

ग्राम धाडुली

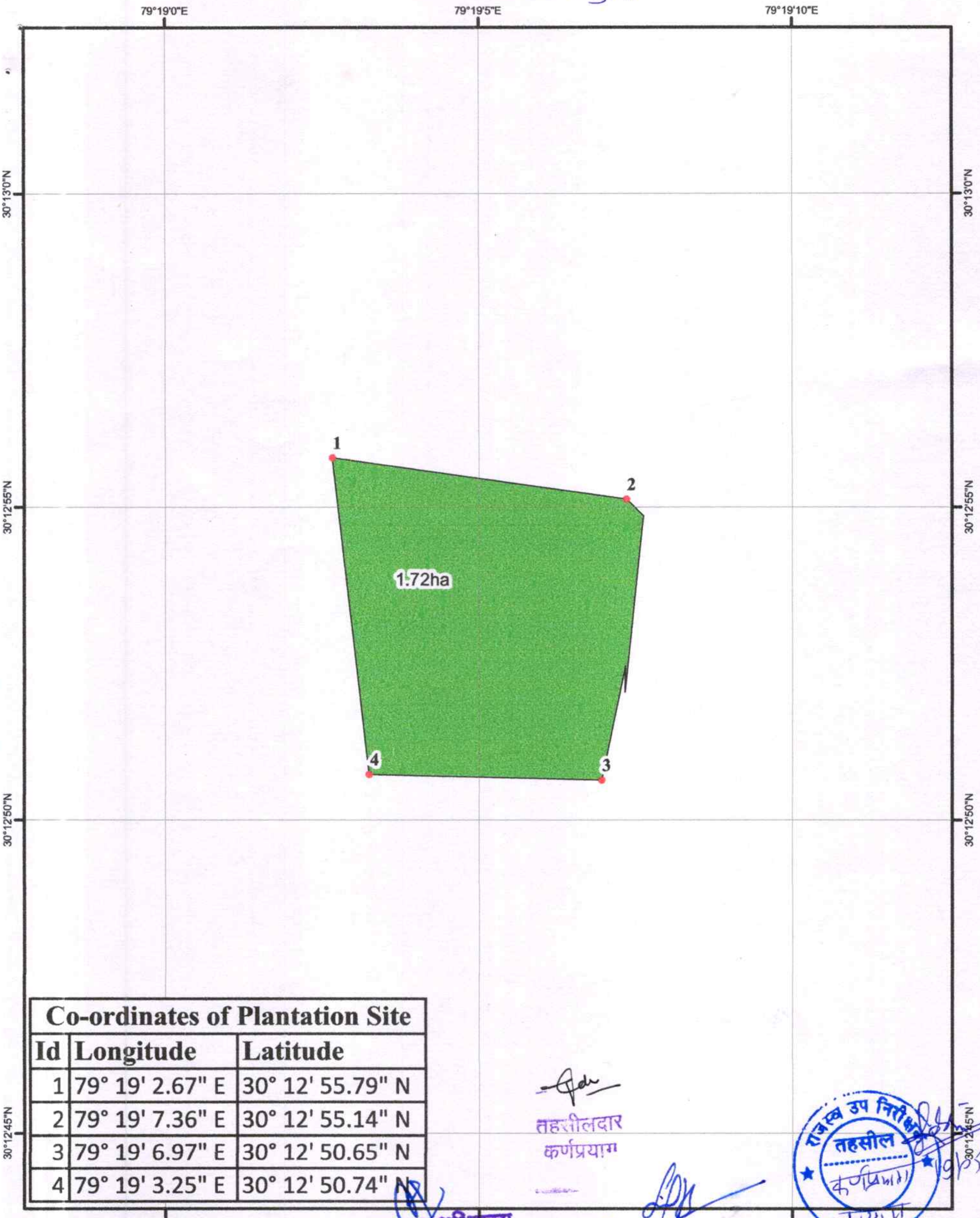


| Co-ordinates of Plantation Site | | |
|---|---|---|
| Id | Longitude | Latitude |
| 1 | 79° 19' 2.67" E | 30° 12' 55.79" N |
| 2 | 79° 19' 7.36" E | 30° 12' 55.14" N |
| 3 | 79° 19' 6.97" E | 30° 12' 50.65" N |
| 4 | 79° 19' 3.25" E | 30° 12' 50.74" N |

**Legend**

- GPS Location
- Proposed Plantation Site

0 0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 Km

1:2,500

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

राजस्व उप निरीक्षक
तहसील
कर्णप्रयाग

19/5/2023

डिजिटल मैपः—नपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत डिम्मर—सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाडुग्री तक मोटर मार्ग की वनभूमि प्रस्ताव हेतु पौधरोपण क्षेत्र

ग्राम पाडुली

SOI Toposheet No. 53N/04

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

वन क्षेत्राधिकारी

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

तहसील कर्णप्रयाग

तहसीलदार
कर्णप्रयाग

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

E-mail

!! आदेश !!

जनपद चमोली अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु के चिन्हित 01.720 हेक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने हेतु तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 17 / 2022 / एफ0सी0 / 1161 दिनॉक 11.12.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 17 / 2022 / एफ0सी0 / 1161 दिनॉक 11.12.2023 में प्राविधानित शर्तों के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग के पत्र संख्या–294 / र0का0 / भूमि हस्ता0 पत्रा0 / डिम्मर–सुमल्टा–कोलाडुंग्री मार्ग (2024–25) दिनॉक 31.01.2025 के अनुक्रम में डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 06.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पाडुली, पटवारी क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग, जनपद चमोली की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–25, खसरा संख्या–1521 रकवा 01.098 हेक्टेयर, खसरा संख्या–1527 रकवा 0.471 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या–1534 रकवा 0.210 हेक्टेयर मध्ये 0.151 हेक्टेयर अर्थात् 01.720 हेक्टेयर, श्रेणी–10 (04) अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज'' को उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–2173 / XVIII (II) / 2012–18(120) / 2010 दिनॉक 17.12.2012 के अनुसार वन विभाग के नाम नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थानः गोपेश्वर,
दिनॉकः अप्रैल 2025

( डा0 संदीप तिवारी )
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली

संख्या– 6014 / छब्बीस– (2023–2024) दिनॉकः गोपेश्वरः 16 अप्रैल 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02 सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
03 अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
04 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
05 आयुक्त गढ़वाल, मण्डल पौड़ी।
06 उप जिलाधिकारी / तहसीलदार कर्णप्रयाग।
07 प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
08 भूलेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली (गोपेश्वर)
09 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

छायाप्रति सत्यापित

जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

17/04/2025

PDF ACE Scanne

प्रेषक,

तहसीलदार,
कर्णप्रयाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

द्वारा– उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग।

पत्रांक–२१५/र0का0/भूमि हस्ता0पत्रा0/डिम्मर–सुमल्टा–कोलाडुंग्री मोटर मार्ग (2024–25) दिनांक ३१ ,जनवरी, 2025

**विषय– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गतत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि 1.720 है0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर के पत्र संख्या–612/1 सी0वन दिनांक 02.05.2024 के द्वारा डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि 1.720 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में राजस्व उपनिरीक्षक कण्डारा के द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि–जनपद चमोली के अन्तर्गत डिम्मर सुमल्टा मोटर मार्ग निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.720 है0 भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ग्राम पाडुली के नॉन जेड0 ए0 खतौनी की श्रेणी–10–04–अन्य कारणों से अकृषित भूमि की ख0ख0 संख्या 25 खसरा संख्या 1521 रकबा 1.098 है0, खसरा संख्या 1527 रकबा 0.471 है0 और खसरा संख्या 1534 रकबा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 अर्थात कुल 1.720 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी एवं राजस्व उपनिरीक्षक की आख्या संलग्न हैं।

अतः उक्तानुसार डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिये 0.861 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी भूमि 1.720 है0 हेतु ग्राम पाडुली, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कण्डारा, तहसील कर्णप्रयाग की नॉन जेड0 ए0 खतौनी के खाता संख्या 25 में श्रेणी–10–04–अन्य कारणों से अकृषित भूमि दर्ज खसरा संख्या 1521 रकबा 1.098 है0, खसरा संख्या 1527 रकबा 0.471 है0 और खसरा संख्या 1534 रकबा 0.210 है0 मध्ये 0.151 है0 अर्थात कुल 1.720 है0 भूमि का प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

संलग्न–उक्तानुसार।

तहसीलदार,
कर्णप्रयाग।

तहसीलदार कर्णप्रयाग की आख्या जिलाधिकारी महोदय, चमोली की सेवा में संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।

छायाप्रति समाप्ति

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

# नक्शा ट्रेस

ग्राम- पाडुली

रा० उ० नि० - कण्डारा

तहसील - कर्णप्रयाग

उत्तर

दक्षिण

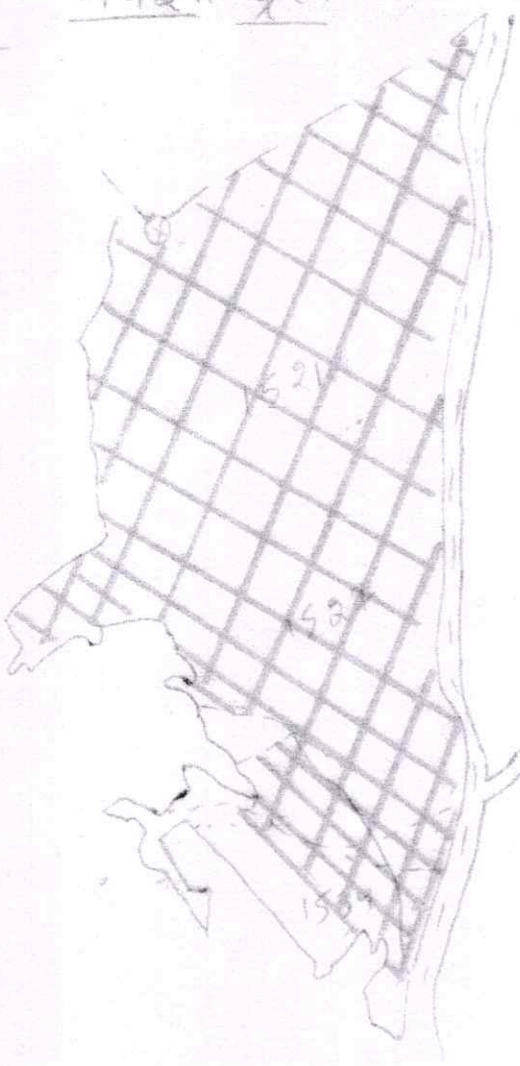

## पैमाना

32 इंच = 1 मील

नोट- नकल Non Z.A. असल Non Z.A. से तैयार किया गया है। Non Z.A खसरा नंबर 1521 रकबा 1.098 है, खसरा नंबर 1527 रकबा 0.457 है०, और खसरा नंबर 1534 रकबा 0.210 है रकबा 0.15 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है जिसे सुर्ख लाल रंग से दर्शाया गया है।

रा०उ०नि० कण्डारा

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील कर्णप्रयाग,

महोदय,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर पत्रांक 612/1सी.वन दिनांक 02/05/2025 एवं आपके आदेशानुपालन R.NO.-455/2025 के संबंध में रिपोर्ट निम्नवत है- कि जनपद चमोली के अन्तर्गत डिम्मर-सुमल्टा मोटर मार्ग निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.72 है० भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में ग्राम पाडुली के नान जेड. ए. खतौनी की श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि की ख० खा० संख्या 25 खसरा संख्या 1521 रकबा 1.098 है०, खसरा संख्या 1527 रकबा 0.471 है० और खसरा संख्या 1534 रकबा 0.210 है० मध्ये 0.151 है० अर्थात कुल 1.72 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई है।

अतः संस्तुति रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न - नक्शा ट्रेस
- नकल खसरा
- नकल नान जेड ए खतौनी

(रोबिन सिंह)
रा० उ० नि०

K.K (KP4)
हे० प्रस्तावित नि०
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

## मौका खसरा / नकल खसरा

राजस्व ग्राम— पाडुली   रा०उ०नि०क्षेत्र कण्डारा   तहसील कर्णप्रयाग   जनपद चमोली।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 1.098 | 25 | उत्तराखंड सरकार | | | | | | | | | | | | | | भीट | 1.098 | | |
| 1527 | 0.471 | 25 | —— " —— | | | | | | | | | | | | | | —"— | 0.471 | | |
| 1534 | 0.210 | 25 | —— " —— | | | | | | | | | | | | | | —"— | 0.210 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट - नकल Mun Z.A. असल Mun Z.A. से तैयार किया गया है।
Mun Z.A. खसरा नंबर 1521 रकबा 1.098 है०, खसरा नंबर 1527 रकबा 0.471 है० और खसरा नंबर 1534 रकबा 0.210 है० मध्ये 0.151 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

रा०उ०नि०
रा०उ०नि० कण्डारा

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11 ग्राम - पाडुली रा० उ० नि० - कण्डारा तहसील कर्णप्रयाग

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी 10(क) - अन्य कारणों से अकृषित भूमि | | | | | | | | | | | | | | |
| २5 | भीटा | हाल | 9 | 0.091 | | | | | | | | | | | |
| | | बंदोबस्त | 50 | 0.013 | | | | | | | | | | | |
| | | | × | × × | | | | | | | | | | | |
| | | | 1521 | 1.098 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1527 | 0.471 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1531 | 0.144 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1534 | 0.210 | | | | | | | | | | | |
| | | × | × × | | | | | | | | | | | | |
| | | योग | 62 | 9.113 | | | | | | | | | | | |

रा० उ० नि० कण्डारा।

नोट - नकुल Map Z.A. असल Map Z.A. से तैयार किया गया है। Map ZA खसरा नंबर 1521 रकबा 1.098 है०, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.471 है० और खसरा नम्बर 1534 रकबा 0.210 है० मे० 0.151 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

संलग्न 3

शर्त संख्या 5 (ख)

प्रस्ताव का नाम– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/146204/2020)**

## एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

23/4/25

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

गौचर